

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०,
बाढ़ प्रभावित जनपद बाराबंकी / लखीमपुर / सीतापुर / ललितपुर / गोण्डा / बादा / फैजाबाद / रामपुर / बहराइच
बलरामपुर / बदायूं / कुशीनगर / बस्ती / अम्बेडकर नगर / आजमगढ़ / महाराजगंज / श्रावस्ती
सिद्धार्थनगर / गोरखपुर / पीलीभीत / हमीरपुर / चित्रकूट / इलाहाबाद / वाराणसी / बलिया।
गाजीपुर / मिर्जापुर / महोबा / चन्दौली एवं भदोही।
/ इपीडी० / बाढ़-समीक्षा / 2016-17 दिनांक-

पत्रांक-

विषय-
महोदय,

आपके जनपद में आपदा(बाढ़) से पशु मृत्यु होने के सम्बन्ध में।

कृपया राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना दिनांक 21-09-2016 जो दिनांक 20-09-2016 के अनुसार जिलाधिकारी स्तर से निम्न प्रकार से जनपद के सापेक्ष पशु मृत्यु की सूचना दी गयी है।

कस०	बाढ़ प्रभावित जनपद का नाम	पशु मृत्यु की संख्या
1	बाराबंकी	-
2	लखीमपुर	3
3	सीतापुर	-
4	ललितपुर	11
5	गोण्डा	-
6	बादा	-
7	फैजाबाद	-
8	रामपुर	-
9	बहराइच	-
10	बलरामपुर	3
11	बदायूं	-
12	कुशीनगर	-
13	बस्ती	-
14	अम्बेडकर नगर	-
15	आजमगढ़	-
16	महाराजगंज	-
17	श्रावस्ती	-
18	सिद्धार्थ नगर	2
19	गोरखपुर	-
20	पीलीभीत	-
21	हमीरपुर	34
22	चित्रकूट	36
23	इलाहाबाद	128
24	वाराणसी	9
25	बलिया	53
26	गाजीपुर	2
27	मिर्जापुर	-
28	महोबा	56

29	चन्दौली	-
30	भदोही	-
कुल योग		337

उपरोक्त सूचना एवं आपके द्वारा दी गयी निदेशालय पशुपालन विभाग के कन्ट्रोल रूम दी गयी सूचना में भिन्नता है। जो इस प्रकार है

कसं०	बाढ़ प्रभावित जनपद का नाम	पशु मृत्यु की संख्या
1	ललितपुर	9
2	बलरामपुर	0
3	सिद्धार्थ नगर	0
4	हमीरपुर	0
5	चित्रकूट	0
6	इलाहाबाद	100(छोटे पशु)
7	वाराणसी	11
8	बलिया	4
9	गाजीपुर	9
10	महोबा	0
11	सीतापुर	4
12	लखीमपुर	1
13	चन्दौली	13
योग		151

शेष जनपदों में सूचना शून्य दिखायी गई है।

उपरोक्त से स्वता: स्पष्ट है कि दोनों सूचनाएँ एक समान नहीं हैं। आप की सूचना एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना में असमानता का औचित्य तीन दिनों में प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की जायेगी। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आप द्वारा राजस्व विभाग से समन्वय नहीं किया जा रहा है, नहीं तो जनपद की पशुधन से सम्बन्धित सूचना में भिन्नता नहीं परिलक्षित होती। जबकि समन्वय के लिये पूर्व में कई बार निर्देशित किया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि जनपद से आने वाली सूचनाओं यदि सही नहीं हो तो औचित्य के साथ उसका संशोधन भी करा दिया जाये एवं आपदा राहत राशि मिलने से पशुपालक वंचित न हो सके, ऐसी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

पशुपालकों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता का व्यवहार रखें एवं सहायता प्रदान करें।

भवदीय

(डा०ए०एन०सिंह)
निदेशक

रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक- 386 / इपीडी० / बाढ़-समीक्षा / 2016-17 दिनांक- 23/7/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-मण्डलीय अपर निदेशक, झांसी, देवीपाटन (गोण्डा), बरसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, को प्रभावी अनुश्रवण के लिये।

2-श्री नीवन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, विभागीय बेसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3-प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(डा०ए०एन०सिंह)
निदेशक

रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।